न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा गुप्ता (I.A.S.)
अपील : 67/2024
तारीख रजू : 30.10.2024 निर्णय दिनांक : 15.05.2026

उनवान

1. सरवण पत्नी घोघड जाति कंजर निवासी ग्राम केशवाना राजपुत तहसील कोटपूतली जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।

– अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार कोटपूतली, जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान।

– रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.02.2023 तहसीलदार कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड़।

उपस्थित अधिवक्तागण :–
01. वकील श्री सुधीर कुमार शर्मा अपीलान्ट की ओर से।
02. पैरोकार सरकार।

।। निर्णय ।।

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कोटपूतली के आदेश दिनांक 17.02.2023 जिसके द्वारा अपीलार्थी को बेदखल किए जाने एवं लगान की 50 गुणा पैनल्टी वसूल किए जाने की आज्ञा से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का मलपुरा ने अपीलान्ट के विरूद्ध एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत की कि संवत 2079 में ग्राम केशवाना राजपूत तहसील कोटपूतली के खसरा नम्बर 414 रकबा 1.20 हेक्टेयर में से 1.00 हैक्टेयर भूमि किस्म बंजड पर बाजरे की फसल काश्त कर ली, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये जाने पर अपीलान्ट मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि पटवारी हल्का द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर आराजी हाल खसरा नम्बर 414 वाके मोजा केशवाना राजपूत तहसील कोटपूतली की भूमि को सिवायचक भूमि दर्शाकर अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट अपने पति के समय से लगातार काश्त करती चली आ रही है तथा अपीलान्ट अनुसूचित जाति की विधवा महिला एवं गरीब भूमिहीन कृषक है और उक्त भूमि के अतिरिक्त उसके पास कोई अन्य काश्त की भूमि या आय का साधन नहीं है तथा यदि उसे उक्त भूमि से बेदखल किया जाता है तो उसके समक्ष जीवनयापन का संकट उत्पन्न हो जाएगा, अपीलान्ट पाश्यावृति अतिक्रमण की श्रेणी में आती है तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी सर्कुलर दिनांक 10.01.2013 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 की धारा 20 के तहत 01.01.2005 से पूर्व लगातार काश्त करने वाले व्यक्ति को भूमि का नियमन किया जाना आवश्यक है और अपीलान्ट उक्त शर्तो को पूर्ण करती है तथा 2006 से पूर्व से लगातार काश्त करती चली आ रही है एवं उसने व उसके पति ने मेहनत कर उक्त बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया है, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये तथा बिना पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये दिनांक 17.02.2023 को बेदखली का आदेश पारित कर दिया जो विधि विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार कर निर्णय दिनांक 17.02.2023 बउनवानी सरकार बनाम सरवण वगैरा मु.न. 11/2022 अन्तर्गत धारा 91(3) राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर आराजी हाल खसरा नम्बर 414 रकबा 1.20 हेक्टेयर वाके मोजा केशवाना राजपूत तहसील कोटपूतली का नियमन किये जाने

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

आदेश प्रदान किये जाएँ।

पैरोकार सरकार का तर्क है कि संवत 2079 ग्राम केशवाना राजपूत तहसील कोटपूतली के आराजी ख० नं0 414 रकबा 1.20 हैक्टेयर में से 1.00 हैक्टेयर किस्म बंजड पर बाजरा की फसल कास्त कर सरवण पत्नी घोघड जाति कंजर निवासी केशवाना राजपूत तहसील कोटपूतली जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली बहरोड ने अतिक्रमी को धारा 91(3) एल०आर०एक्ट० के तहत विधिवत् नोटिस जारी किया गया। नोटिस पूर्णरूपेण तामील होकर प्राप्त होने के बाद अपीलान्ट स्वंय उपस्थित हुए और जवाब में कथन किया, जिसे अस्वीकार किया जाकर विधिवत् कार्यवाही की गई है। अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर अतिक्रमित आराजी ख० नं0 216 रकबा 1.45 हैक्टेयर में से 1.00 हैक्टेयर पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये गये है, साथ ही भू राजस्व का वार्षिक लगान का पचास गुणा राशि के दण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकार अपीलाण्ट/अतिक्रमी के विरूद्ध अतिक्रमण करने पर नियमानुसार विधिवत् एवं सही तथ्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये है, जो सही है तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। अन्त में पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाने की कृपा करें।

सर्वप्रथम अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर विद्वान अधिवक्ता की बहस पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का स्वीकार कर यह अपील अन्दर मियाद मानी जाकर वास्ते सुनवाई ग्रहण की गई। हमने वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहत न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया तथा कानून की मंशा देखी गई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कोटपूतली की पत्रावली, उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में भूमि नियमन हेतु पात्रता, दीर्घकालीन काश्त एवं पश्यावृत्ति अतिक्रमण संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विधिवत परीक्षण किया जाना आवश्यक है, जिनका तहसीलदार कोटपूतली द्वारा समूचित जांच एवं परिक्षण नहीं किया गया है। इसलिए अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2023 निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः विचारार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार, कोटपूतली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी को समुचित अवसर प्रदान कर नियमानुसार, विधिसम्मत् आदेश पारित किया जाए। निर्णय प्रति के साथ तहत न्यायालय की मूल पत्रावली वापस भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशा गुप्ता)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़